विचार बिन्दु

ईश्वर द्वारा निर्मित जल और वायु की तरह सभी चीजों पर सबका समान अधिकार होना चाहिए। –महात्मा गाँधी

वनों की बहुआयामी जटिलता का सौन्दर्य

यह जिए हुए जीवन का कथ्य है। जंगल कभी सीधे खड़ा नहीं होता। वह थोड़ा-सा झुका रहता है, जैसे पृथ्वी के कान में कोई धीमी परंतु दीर्घ कथा कह रहा हो-एक ऐसी कथा जिसमें तापमान के आँकड़े भी हैं, मेघों की छाया भी, कार्बन का अदृश्य भार भी और मनुष्य की थकी हुई साँस भी। जंगल केवल वृक्षों का समुदाय नहीं; वह एक जीवित तंत्र है, जो एक साथ तीन भाषाएँ बोलता है-पारिस्थितिकी की, अर्थव्यवस्था की और समाज की। इन तीनों के बीच उसकी जड़ें एक जटिल लिपि की तरह गुंथी रहती हैं, जिन्हें पढ़े बिना कहानी अधूरी रह जाती है।

पारिस्थितिकी की भाषा मिट्टी समझती है। जड़ें समझती हैं। कवक और सूक्ष्मजीव समझते हैं। जंगल ऊर्जा का प्रवाह है-सूर्य से पत्ती तक,पत्ती से तने तक,तने से जड़ों तक और फिर मिट्टी से जीवन की अगली परत तक। वह पोषक तत्वों का चक्र है। वह कार्बन का संचयन है। वह जल का पुनर्वितरण है। वह जैवविविधता का आश्रय है। यहाँ गिरती हुई पत्ती केवल क्षय नहीं, पुनर्जनन की शुरुआत है। गिरे हुए वृक्ष का तना केवल लकड़ी नहीं, दीर्घकालिक कार्बन-संग्रहण और सैकड़ों प्रजातियों का निवास है। जंगल स्वयं को चक्रों में पुनर्निर्मित करता है-धीरे, पर स्थायी रूप से-और इसी धीमेपन में वह जलवायु को भी संतुलित करता है। उसकी सतह खुरदुरी है; वह हवा की चाल बदल देती है। वायुगतिकीय खुरदराहट सीमा-परत को प्रभावित करती है, ऊष्मा का ऊर्ध्वाधर आदान-प्रदान बढ़ाती है और स्थानीय ताप-विन्यास को पुनर्गठित करती है। जंगल केवल छाया नहीं, वायुमंडलीय मिश्रण भी है।

जब वैज्ञानिकों ने ताप मापा तो पाया कि वन के भीतर अधिकतम तापमान औसतन लगभग 4 डिग्री सेल्सियस कम और न्यूनतम तापमान लगभग 1 डिग्री अधिक होता है। इसका अर्थ है कि जंगल चरम सीमाओं को घटाता है। दिन की धूप कम तीखी, रात की ठंड कम कठोर। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह शीतलन और भी तीव्र है-लगभग 6 डिग्री तक। शहरों में वृक्ष 1.5 से 1.7 डिग्री तक ताप घटा सकते हैं और अनुभूत ताप 6 से 14 डिग्री तक कम हो सकता है, जिससे श्रम-क्षमता बचती है और ऊष्मा-जनित जोखिम घटता है। यह केवल छाया का प्रभाव नहीं; यह वाष्पोत्सर्जन का परिणाम है, जहाँ पत्तियाँ जल को वाष्प में बदलकर ऊष्मा सोख लेती हैं। पर उसी छतरी का एक दूसरा पक्ष भी है-रात में वह धरती से निकलने वाली दीर्घ-तरंग ऊष्मा को रोक सकती है, जिससे न्यूनतम ताप बढ़ जाता है। जंगल ताप का विरोधाभास है-दिन में शीतलन, रात में ऊष्मन का हल्का आवरण।

यह विरोधाभास वैश्विक स्तर पर और स्पष्ट होता है। वन का अल्बीडो-उसकी परावर्तन क्षमता-प्रायः कम होती है। जहाँ भूमि पहले उजली थी-हिमाच्छादित क्षेत्र, टुंड्रा या घासभूमि-वहाँ वन अधिक सौर विकिरण अवशोषित कर सकता है। 35 डिग्री अक्षांश के नीचे वन प्रायः शुद्ध शीतलन देते हैं; 35 डिग्री से 45 डिग्री के बीच प्रभाव संतुलित हो सकता है; 45 डिग्री उत्तर के ऊपर कुछ परिस्थितियों में वन शुद्ध ऊष्मन भी दे सकते हैं। इसलिए वनरोपण सर्वत्र समाधान नहीं। जहाँ प्राकृतिक रूप से 30 प्रतिशत या उससे अधिक वृक्षावरण संभव है, वहाँ वन विस्तार अधिकतर शीतलन देता है; विरल प्राकृतिक वृक्ष क्षमता वाले क्षेत्रों में सावधानी आवश्यक है। वन की आयु भी महत्त्वपूर्ण है-युवा रोपण अधिक जल-उपभोक्ता और तीव्र वृद्धि वाले हो सकते हैं, जबकि परिपक्व प्राकृतिक वन अधिक संतुलित जल-प्रयोग और स्थिर कार्बन-संग्रहण प्रदर्शित करते हैं।

जंगल कार्बन का विशाल भंडार है। वैश्विक स्तर पर वह प्रति वर्ष लगभग 0.93 से 1.39 गीगाटन कार्बन का शुद्ध अवशोषण करता है। उष्णकटिबंधीय वन विशेष रूप से सघन हैं-उनकी उच्च उत्पादकता और जैवभार उन्हें शमन में केंद्रीय बनाते हैं। वृद्ध वन-जहाँ बड़े वृक्ष और समृद्ध मिट्टी है-दीर्घकालिक कार्बन-संग्रहण के सबसे विश्वसनीय स्तंभ हैं। यदि 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के उष्णकटिबंधीय वन समाप्त हो जाएँ, तो वैश्विक ताप लगभग 0.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। एक डिग्री मामूली प्रतीत हो सकती है, पर इसी में हिमनद पिघलते हैं, समुद्र-स्तर बढ़ता है, पारिस्थितिक तंत्र बदलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी वातावरण में बढ़ जाती है। बढ़ती गर्मी, सूखा तथा वनाग्नि वनों की जीवन्तता को सीमित कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में आग के कारण वन अस्थायी रूप से कार्बन-स्रोत भी बन सकते हैं।

जंगल मेघों को भी प्रभावित करता है। मध्य-अक्षांशों के आर्द्र क्षेत्रों में वन-क्षेत्रों के ऊपर अधिक बादल देखे गए हैं, जो आने वाले सौर विकिरण को परावर्तित कर शीतलन में योगदान दे सकते हैं। उष्णकटिबंध में संबंध जटिल है-छोटे पैमाने की वनों की कटाई स्थानीय वर्षा बढ़ा सकती है,पर बड़े पैमाने की कटाई क्षेत्रीय वर्षा घटा सकती है। कांगो बेसिन में उच्च-विनाश परिदृश्यों में 8-10 प्रतिशत तक वर्षा-घटाव संभावित है। वन ऊपर नमी भेजता है; महाद्वीपीय वाष्प का एक भाग पुनः वर्षा बनता है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों की कृषि और जल-सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

वृक्ष वाष्पशील कार्बनिक यौगिक छोड़ते हैं, जो द्वितीयक कार्बनिक एरोसोल बनाकर मेघ-निर्माण को प्रभावित कर सकते हैं। पर यही रसायन मीथेन और ओज़ोन रसायन के माध्यम से शीतलन को आंशिक रूप से संतुलित कर सकते हैं। उच्च उत्सर्जन परिदृश्य में यह प्रभाव वन-कार्बन-शमन के लगभग 23 प्रतिशत लाभ को संतुलित कर सकता है; निम्न उत्सर्जन परिदृश्य में यह लगभग 14 प्रतिशत तक सीमित हो सकता है। दूसरी ओर, वन-क्षेत्रों की लकड़ी की सतहें वायुमंडलीय मीथेन को अवशोषित कर सकती हैं, जिससे शमन-क्षमता लगभग 10 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।

जंगल जादुई है-पर उसका जादू प्रमाणित है। वह ताप कम करता है, कार्बन समेटता है, मेघों को आकार देता है, रसायन छोड़ता है, मीथेन सोखता है, बाढ़ थामता है, कभी जल घटाता है, शहरों को शीतल करता है, श्रम को बचाता है, कृषि को प्रभावित करता है, अर्थव्यवस्था को स्थिर करता है, समाज को जोड़ता है। जंगल को बचाना हरियाली बढ़ाना नहीं-संतुलन बचाना है।

जल चक्र में वनों की भूमिका बहुस्तरीय है। वन की छतरी 3 से 74 प्रतिशत तक वर्षा को रोक सकती है। पत्तियों की परत अतिरिक्त 10 से 50 प्रतिशत तक अवरोध कर सकती है। जड़ें मिट्टी में छिद्र बनाकर अवशोषण बढ़ाती हैं। अध्ययनों में 82 प्रतिशत मामलों में पुनर्वनीकरण से बाढ़-जोखिम घटा और 83 प्रतिशत मामलों में अवशोषण बढ़ा। पर दीर्घकालीन जलागम अध्ययनों ने दिखाया कि वन-वृद्धि से वार्षिक धारा घट सकती है-कुछ शुष्क क्षेत्रों में 62 प्रतिशत तक, औसतन लगभग 44 प्रतिशत। तीव्र-विकासशील जल-गहन प्रजातियाँ शुष्क परिस्थितियों में धारा को 10 प्रतिशत से भी नीचे ला सकती हैं। बड़े पैमाने पर वनीकरण से कुछ क्षेत्रों में जल-उपलब्धता 6 प्रतिशत तक बढ़ सकती है, तो कुछ में वनों द्वारा पानी रोके रहने से 38 प्रतिशत तक घट सकती है।

अब अर्थव्यवस्था की भाषा बोलती हैं। जब वन ताप घटाता है तो ऊर्जा की माँग घटती है-कुछ शहरी संदर्भों में 2से 90 प्रतिशत तक ऊर्जा-बचत संभव है। ताप से श्रम-क्षमता घटती है; उत्पादकता प्रभावित होती है; संज्ञानात्मक क्षमता कम होती है। बाढ़-क्षति, जो 1990-2000 के बीच कुछ विकासशील देशों में 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक रही, वन संरक्षण से कम हो सकती है। पर यदि जल-गहन रोपण किए जाएँ तो सिंचाई संकट बढ़ सकता है-कुछ परिदृश्यों में 72 से 95 प्रतिशत क्षेत्रों में जल-संकट संभावित हो सकता है।

समाज की भाषा सूक्ष्म है। वन ईंधन है, चारा है, फल है, औषधि है। वह सांस्कृतिक स्मृति है। त्योहारों की हरियाली है। लोकगीत की पंक्ति है। जब वन घटता है तो केवल ताप नहीं बढ़ता; असमानता बढ़ती है। सबसे पहले प्रभावित वही जिसका जीवन भूमि से बँधा है। वन सामाजिक स्थिरता का स्तंभ है-प्रवासन को धीमा करता है, स्थानीय आजीविका को टिकाता है, समुदायों को जोड़ता है।

पर यह त्रिवेणी सहज नहीं। यदि पारिस्थितिकी की उपेक्षा हुई तो अर्थव्यवस्था डगमगाएगी। यदि अर्थलाभ के लिए जल-गहन वृक्ष लगाए गए तो समाज को जल-संकट झेलना पड़ेगा। यदि समाज की सहमति बिना वन-नीति बनी तो संरक्षण संघर्ष बन जाएगा।

जंगल उत्सर्जन-घटाव का विकल्प नहीं,पर उसका शक्तिशाली पूरक है। पुराने प्राकृतिक वन-अमेज़न, कांगो, मलय द्वीपसमूह, पूर्वी यूरोप-विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। उन्हें बचाना प्राथमिकता है।

जंगल जादुई है-पर उसका जादू प्रमाणित है। वह ताप कम करता है, कार्बन समेटता है, मेघों को आकार देता है, रसायन छोड़ता है, मीथेन सोखता है, बाढ़ थामता है, कभी जल घटाता है, शहरों को शीतल करता है, श्रम को बचाता है, कृषि को प्रभावित करता है, अर्थव्यवस्था को स्थिर करता है, समाज को जोड़ता है। जंगल को बचाना हरियाली बढ़ाना नहीं-संतुलन बचाना है। वह खड़ा नहीं है; वह चल रहा है-हमारे साथ-धीरे, पर निर्णायक रूप से मानव सभ्यता के साथ चल रहा है।

इस दीर्घ वाक्य की असली परीक्षा बड़े बीजों से शुरू होती है। बड़े-बीज वाली देशज प्रजातियाँ केवल अंकुर नहीं उगातीं, वे स्थायित्व बोती हैं। उनके भीतर दीर्घजीवी, विशाल वृक्षों की संभावना रहती है, जो दशकों तक कार्बन को अपने तनों, शाखाओं और मिट्टी में बाँधते हैं, छाया की स्थिर संरचना बनाते हैं और नमी को थामे रखते हैं। उनके फल वन्यजीवों को आकर्षित करते हैं; बीज-वितरण की श्रृंखला चलती है; जैवविविधता का जाल गहरा होता है। यदि पुनर्स्थापन से ऐसे वृक्ष अनुपस्थित हों तो जंगल का ढाँचा हल्का रह जाएगा-वृद्धि तो होगी, पर पारिस्थितिक गहराई नहीं। इसलिए बड़े बीजों का समावेश अनिवार्य है-प्राकृतिक पुनर्जनन के संरक्षण के साथ-ताकि कार्बन, जल, मिट्टी, प्राणी और मनुष्य सभी के लिए दीर्घकालिक संतुलन सुनिश्चित हो सके। बड़े बीज भविष्य की शांत प्रतिज्ञा हैं; उन्हें बोना समय के साथ किया गया एक गंभीर अनुबंध है।

वन-पुनर्स्थापन केवल खाली भूमि पर पेड़ गिन देना नहीं है; वह स्मृति लौटाना है। सबसे पहले बड़े, पुराने वृक्षों को बचाना-क्योंकि वही जंगल की जीवित धुरी हैं,वही कार्बन के गहरे कोष,वही बीजों की मौन पुस्तकालय, वही पक्षियों, चमगादड़ों और कीटों के दिशासूचक स्तंभ। उनके चारों ओर ही पुनर्जनन की परिधि बनती है। रोपण और बुवाई में सभी देशज प्रजातियों का स्थान हो-केवल तीव्र-वृद्धि वाली नहीं, बल्कि वे भी जो धीमे बढ़ती हैं, छाया सहती हैं, मिट्टी को समृद्ध करती हैं और जल को थामती हैं। पुनर्स्थापन आजीविका से जुड़ा हो-फल, चारा, औषधि, गैर-काष्ठ वन-उत्पाद, स्थानीय श्रम और कौशल-ताकि समुदाय सहभागी बनें, संरक्षक बनें। ऐसा वन रचा जाए जो हवा में कार्बन समेटे, पानी को रोके और सँभाले, मिट्टी को उर्वर बनाए, जीवों को घर दे और मनुष्य को छाया; क्योंकि पुनर्स्थापन तात्कालिक लाभ के लिए नहीं,पीढ़ियों के लिए होता है। जंगल को लौटाना एक दीर्घ वाक्य लिखना है, जिसमें बीज आज गिरता है और उसका अर्थ अगली सदी में खुलता है।

बचपन से अब तक वनों के बीच जिए हुए जीवन से हुआ यह यथार्थ-बोध हमें ज्ञान के संबंध में विनम्र बनाता है।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ. दीप नारायण पाण्डेय
(भारतीय वन सेवा से सेवानिवृत्त तथा वर्तमान में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में विजिटिंग प्रोफेसर)
(यह लेखक के निजी विचार हैं और 'सार्वभौमिक कल्याण के सिद्धांत' से प्रेरित हैं)

भारत में राजभाषा हिन्दी का ऐतिहासिक चिंतन और संविधान सभा का निर्णय

सूर्यप्रतापसिंह राजावत

भारत में एक ऐसी भाषा की आवश्यकता का चिंतन, जो विभिन्न भाषायी, सांस्कृतिक और प्रादेशिक समुदायों को परस्पर जोड़ सके, आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के साथ ही स्पष्ट रूप से सामने आने लगा था। राष्ट्रभाषा अथवा ऐसी संपर्क-भाषा की कल्पना केवल प्रशासनिक सुविधा का प्रश्न नहीं थी, बल्कि इसे राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक आत्मबोध और स्वाधीनता की चेतना से भी जोड़ा गया। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से लेकर संविधान सभा के निर्णय तक इस प्रश्न पर देश के अनेक चिंतकों, साहित्यकारों और राष्ट्रवादियों ने विचार किया।

सन् 1874 में आधुनिक भारत के प्रमुख सुधारक केशवचंद्र सेन की पत्रिका 'सुलभ समाचार' में भारत के लिए एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता का विचार दिखाई देता है। इसी वैचारिक क्रम को बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने साहित्य और लेखन के माध्यम से आगे बढ़ाया। आनन्द मठ के रचयिता बंकिमचंद्र के लिए राष्ट्र केवल राजनीतिक इकाई नहीं था; वह सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय आत्मसम्मान से निर्मित एक जीवंत अवधारणा था। भाषा को इस राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम माना गया।

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में श्रीअरविन्द के लेखन में भी भाषा और राष्ट्रीयता का प्रश्न एक व्यापक आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में सामने आता है। सन् 1906 के आसपास वन्दे मातरम्में प्रकाशित उनके लेखों में यह विचार मिलता है कि भारत अनेक भाषाओं, जातियों, पंथों और प्रादेशिक विविधताओं के बावजूद एक राष्ट्रीय चेतना से बंधा हुआ है। उनके राष्ट्रवाद में भारत केवल भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक सत्ता था। इस दृष्टि से एक ऐसी राजभाषा, जो विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क और प्रशासनिक एकता का माध्यम बन सके, राष्ट्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थी।

हिन्दी के विकास, प्रचार और प्रसार के लिए उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में अनेक संस्थाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन् 1893 में स्थापित नागरी प्रचारिणी सभाने देवनागरी लिपि और हिन्दी के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। इसके बाद सन् 1910 में स्थापित हिन्दी साहित्य सम्मेलन हिन्दी के प्रचार-प्रसार और उसके राष्ट्रीय स्वरूप को विकसित करने का एक प्रमुख मंच बना। हिन्दी साहित्य सम्मेलन स्वतंत्रता आंदोलन के समानांतर चलने वाले भाषा आंदोलन का भी महत्वपूर्ण साक्षी रहा। पुरुषोत्तम दास टंडन को सम्मेलन के 'प्राण' के रूप में संबोधित किया गया। महात्मा गांधी भी सम्मेलन से जुड़े और सन् 1917 में इंदौर अधिवेशन की अध्यक्षता की।

दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए महात्मा गांधी ने सन् 1918 में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की। स्वतंत्रता के निकट आते-आते भाषा का प्रश्न संविधान-निर्माण की प्रक्रिया से सीधे जुड़ गया। भारत का विभाजन इस पूरे विमर्श की राजनीतिक पृष्ठभूमि में अत्यंत महत्वपूर्ण घटना था। संविधान सभा में किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को रखने से पहले कांग्रेस संसदीय दल में उस पर विचार-विमर्श किया जाना सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा था। राजभाषा के प्रश्न पर भी कांग्रेस संसदीय दल में व्यापक विचार हुआ।

16 जुलाई 1947 को कांग्रेस संसदीय दल में भाषा संबंधी मतदान हुआ। उपलब्ध विवरणों के अनुसार हिन्दी के पक्ष में 63 और हिन्दुस्तानी के पक्ष में 32 मत पड़े। इसी प्रकार देवनागरी लिपि के पक्ष में 63 तथा उसके विरोध में 18 मत प्राप्त हुए। इसके बाद संविधान के प्रारूप में हिन्दी को प्रमुख स्थान मिला और 'हिन्दुस्तानी'-अर्थात् हिन्दी अथवा उर्दू को देवनागरी अथवा फारसी लिपि में लिखने की अवधारणा-को प्रारूप से हटा दिया गया। अगस्त 1949 में द हिन्दू तथा हिन्दुस्तान जैसे समाचार-पत्रों में भी कांग्रेस संसदीय दल के निर्णय से संबंधित समाचार प्रकाशित हुए। ग्रैनविल ऑस्टिन ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तकः– The Indian Constitution Cornerstone of a Nation में संविधान-निर्माण के दौरान भाषा के प्रश्न और उसके राजनीतिक संदर्भ का उल्लेख किया है। यह ध्यान देने योग्य है कि संविधान सभा में संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार करने का मूल प्रश्न ही सबसे बड़ा विवाद नहीं था। वास्तविक विवाद मुख्यतः दो विषयों पर केंद्रित था-पहला, अंग्रेजी को कितने समय तक संघ के आधिकारिक कार्यों में जारी रखा जाए; और दूसरा, अंकों का कौन-सा रूप अपनाया जाए। इस प्रकार भाषा संबंधी विवाद हिन्दी बनाम अंग्रेजी के सरल द्वंद्व से कहीं अधिक जटिल था। भारतीय अंकों के स्वरूप पर भी संविधान सभा में विचार हुआ। डॉ. पी. सुब्बारायन ने का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्तमान में प्रचलित अंकों को सामान्यतः अरबी अथवा हिन्दू-अरबी अंक कहा जाता है और इनके उद्गम को लेकर विभिन्न मत हैं। अरब, ईरान, मिस्र और भारत-सभी से संबंधित दावे किए गए हैं। व्यापारिक संपर्क के माध्यम से विभिन्न देशों में इन चिह्नों का प्रसार हुआ। किंतु इस मत का उल्लेख किया गया कि जिन देशों में इन अंकों का व्यापक प्रयोग हुआ, उनमें भारत का स्थान विशेष रहा है। इस चर्चा से स्पष्ट होता है कि संविधान सभा भाषा के प्रश्न को भारतीय सभ्यता और उसके व्यापक ऐतिहासिक योगदान के संदर्भ में भी देख रही थी।

संस्कृत को भारत की राजभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव भी संविधान सभा में सामने आया। पं. लक्ष्मीकांत मैत्र ने संस्कृत के पक्ष में अपने संशोधन को प्रस्तुत करते हुए कहा कि संस्कृत के अध्ययन से भारत अपने प्राचीन वैभव और ज्ञान-परंपरा का पुनराविष्कार कर सकता है। किन्तु पं. मैत्र का दृष्टिकोण केवल भावनात्मक नहीं था। उन्होंने संस्कृत को तत्काल राजभाषा बनाए जाने की व्यावहारिक कठिनाइयों को भी स्वीकार किया। वैज्ञानिक, उच्च शिक्षा और न्यायपालिका के क्षेत्र में भी अंग्रेजी के निरंतर प्रयोग को उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों में आवश्यक माना। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने भाषा संबंधी विवाद को अत्यंत सरल और सहिष्णु दृष्टिकोण से समझाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान पारस्परिक सम्मान और समझौते की भावना से होना चाहिए। हिन्दी समर्थकों ने हिन्दी और देवनागरी लिपि को स्वीकार कराने में सफलता प्राप्त की था। अंततः मुंशी-अयंगार सूत्र के आधार पर संविधान सभा ने भाषा संबंधी जटिल विवाद का समाधान किया। 14 सितम्बर 1949 को संविधान सभा ने संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार किया और देवनागरी लिपि को मान्यता दी। साथ ही अंग्रेजी के प्रयोग के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्था की गई, जिससे प्रशासन, न्यायपालिका और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अचानक व्यवधान उत्पन्न न हो।

इस प्रकार 14 सितम्बर 1949 का निर्णय केवल किसी एक भाषा को प्रशासनिक भाषा बनाने का निर्णय नहीं था। यह भारतीय राष्ट्र-निर्माण की उस दीर्घ प्रक्रिया का परिणाम था जिसमें भाषा को राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक आत्मबोध, प्रशासनिक आवश्यकता और सभ्यतागत निरंतरता-इन सभी के बीच संतुलित करने का प्रयास किया गया। हिन्दी को संघ की राजभाषा स्वीकार करते समय संविधान सभा ने भारत की भाषायी विविधता को समाप्त करने का नहीं, बल्कि विविधता के बीच एकता के लिए एक साझा संवैधानिक माध्यम निर्धारित करने का प्रयास किया।

राजभाषा का प्रश्न इसलिए भारतीय संविधान के निर्माण की व्यापक कथा में केवल भाषा का प्रश्न नहीं, बल्किभारतीय राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक आत्मचेतना, लोकतांत्रिक सहमति और राष्ट्रीय एकीकरण ाका प्रश्न भी है। 14 सितम्बर 1949 का निर्णय इसी ऐतिहासिक यात्रा की एक महत्वपूर्ण परिणति के रूप में देखा जाना चाहिए।

–सूर्यप्रतापसिंह राजावत,
अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर

विविधता में एकता की परिचायक राष्ट्र भाषा हिन्दी...

गोविन्द शर्मा

भारत की एकता उसकी विविधता में है, पर इस विविधता को एक सूत्र में पिरोने के लिए एक मात्र हिन्दी भाषा है।देश का बड़ा वर्ग इस भाषा को समझता है। जनगणना के अनुसार देश के लगभग 44 प्रतिशत लोग हिन्दी को मातृभाषा के रूप में बोलते हैं और 70 से अधिक लोग उसे समझते हैं।

कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब एक मजदूर, एक सैनिक, एक व्यापारी आपस में बात करता है तो वह हिन्दी का ही सहारा लेता है। हिन्दी जन-जन की भाषा है। इसका प्रचलन बढ़ने से उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम का भाषाई अंतर घटने लगा है हिन्दी से ही राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होना सम्भव है। हिन्दी का प्रचलन बढ़ाने का अर्थ किसी अन्य भारतीय भाषा या अंग्रेजी का विरोध नहीं है। इसका अर्थ है – अपने देश में अपनी भाषा को उसका सम्मानित स्थान दिलाना। आवश्यकता इस बात की है कि हम सरकारी कामकाज में, शिक्षा में, और सबसे महत्वपूर्ण – हम दैनिक जीवन में हिन्दी को अपनाएं। अपने बच्चों से हिन्दी में संवाद करें, हस्ताक्षर हिन्दी में करें, दुकानों के नामपट्ट हिन्दी में लगाएं।

जिस देश की अपनी भाषा नहीं, उसका अपना भविष्य भी नहीं होता। इसलिए देश के स्वाभिमान, एकता और सर्वांगीण विकास के लिए हिन्दी का प्रचलन बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी देश की पहचान उसकी भाषा से होती है। भाषा सिर्फ बोलने का साधन नहीं, बल्कि संस्कृति, संस्कार और स्वाभिमान की आत्मा होती है। भारत के लिए वह आत्मा हिन्दी है।

हिन्दी की प्रगति तीन चरणों में देखी जा सकती हैः साहित्यिक प्रगतिः कबीर, सूर, तुलसी और मीरा ने हिन्दी को भक्ति की भाषा बनाया। प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, निराला ने उसे आधुनिक साहित्य की ऊँचाई दी। आज हिन्दी साहित्य का अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो रहा है। राष्ट्रीय प्रगतिः स्वतंत्रता आंदोलन में हिन्दी ने पूरे देश को एक धागे में पिरोया। गांधी जी ने कहा था – "हिन्दी जनमानस की भाषा है।" 14 सितम्बर 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा मिला, जो इसकी सबसे बड़ी संवैधानिक प्रगति थी।

– आज हिंदी प्रचलन तेजी बढ़ रहा है अनेक विदेशी विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाती है। फिजी और मॉरीशस में इसे राजकीय सम्मान प्राप्त है।

– इंटरनेट पर हिन्दी सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा है। गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर बहुत लोकप्रियता मिल रही है।ज्यादा भारतीय हिन्दी में ही कंटेंट देखना पसंद करते हैं।

–वर्तमान में हिन्दी रोजगार की भाषा है – अनुवाद, पत्रकारिता, सिनेमा, डबिंग और कंटेंट क्रिएशन में लाखों युवाओं को रोजगार दे रही अंठोजी हमें दुनिया से जोड़ती है, पर हिन्दी हमें भारत से जोड़ती है। तमिलनाडु का व्यक्ति कश्मीर में जाकर हिन्दी में ही बात करता है। आज जापान, चीन और फ्रांस भी अपनी भाषा में ही तरक्की कर रहे हैं। अपनी भाषा में काम करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और मौलिक सोच पैदा होती है। हिन्दी हमारे देश की सांकृतिक धरोहर है हिन्दी में हमारे त्योहार, रीति-रिवाज और मूल्य रचे बसे हैं। रामचरितमानस की एक चौपाई जो बात समझा देती है, वह अंग्रेजी के पन्नों में भी समझ में नहीं आती। हिन्दी की प्रगति किसी अन्य भाषा का विरोध नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ना है। हमें हिन्दी को केवल 14 सितंबर को याद नहीं करना, बल्कि रोज जीना होगा।

–गोविन्द शर्मा,
से .नि सहायक निदेशक
डी आई पी आर

भादवे में सड़कों पर उतर आती है राजस्थान की लोक संस्कृति

राजेन्द्र जोशी

सावन की रिमझिम फुहारों के बाद जब भादवा आता है तो राजस्थान की धरती जैसे लोक संस्कृति के रंगों से सराबोर हो उठती है। यह केवल कैलेंडर का एक महीना नहीं, बल्कि राजस्थान की लोक आस्था, परंपरा, संगीत, नृत्य और सामुदायिक जीवन के चरम पर पहुंचने का समय है। भादवा आते ही घर से लेकर गांव-ढाणी तक, कच्ची पगडंडियों से लेकर शहरों की सड़कों तक और मंदिरों से लेकर मेलों के विशाल मैदानों तक लोक जीवन की एक अलग ही तस्वीर दिखाई देने लगती है।

राजस्थान में भादवा को मेलों का महीना भी कहा जाता है। इन मेलों में केवल देवी-देवताओं के दर्शन करने या मनौती पूरी करने की आस्था ही नहीं होती, बल्कि सदियों से चली आ रही लोक संस्कृति भी जीवंत दिखाई देती है। राजस्थान का कोई व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न बैठा हो, भादवा की हवा उसे अपनी मिट्टी की याद दिलाती है। भादवा का सबसे बड़ा आकर्षण रामदेवरा का मेला है। जैसलमेर जिले के पोकरण के पास स्थित रामदेवरा में लोकदेवता बाबा रामदेवजी के प्रति आस्था का सैलाब उमड़ता है। भादवा सुदी दूज से एकादशी तक चलने वाले इस मेले में देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं।

इसी क्रम में गोगामेड़ी का मेला राजस्थान की लोक आस्था का दूसरा बड़ा केंद्र है। हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी में लोकदेवता गोगाजी की पूजा के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। भादवा शुक्ल चतुर्थी पर रणथम्भौर का त्रिनेत्र गणेश मेला भी राजस्थान की विशिष्ट धार्मिक और लोक परंपरा का परिचायक है। चारभुजा नाथ का मेला भी भादवा की धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसी तरह बारां का डोल मेला हाड़ौती अंचल की लोक संस्कृति का बड़ा उत्सव है। बूंदी की कजली तीज भादवा की लोक संस्कृति को एक अलग आयाम देती है।

बीकानेर संभाग और आसपास के क्षेत्रों के लिए पूनरासर हनुमान जी, कोडमदेसर भैरूंनाथ, सालासर बालाजी का मेला भी आस्था का बड़ा केंद्र है। चूरू जिले के सालासर में विशेष अवसरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। भादवा का लोक संसार केवल बड़े मेलों तक सीमित नहीं है। जोधपुर का खेजड़ली शहीदी मेला राजस्थान की पर्यावरण चेतना और बलिदान की परंपरा से जोड़ता है। मसूरिया जोधपुर, तेजाजी का मेला और राजस्थान की सीमा से लगे क्षेत्रों में बाबा रामदेव से जुड़े छोटे-बड़े मेले तथा गोगाजी के विभिन्न थानों पर होने वाले आयोजन भी लोक जीवन की निरंतरता को बनाए रखते हैं।

इन मेलों की असली खूबसूरती उनके धार्मिक आयोजनों के साथ दिखाई देने वाली लोक कलाओं में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन मेलों में शहर और गांव का अंतर मिट जाता है। अमीर-गरीब, छोटा-बड़ा, जाति और वर्ग की सीमाएं पीछे छूट जाती हैं। एक ही ध्वज के नीचे हजारों लोग चलते हैं, एक ही भजन पर झूमते हैं और एक ही लोक आस्था में स्वयं को जोड़ लेते हैं। यही राजस्थान की लोक संस्कृति की सबसे बड़ी शक्ति है-वह लोगों को अलग-अलग पहचान के बावजूद एक साझा भावभूमि पर खड़ा करती है।

भादवा हमें यह भी याद दिलाता है कि लोक संस्कृति केवल अतीत की विरासत नहीं है। वह आज भी जीवित है, सांस ले रही है और नई पीढ़ी तक पहुंच रही है। जरूरत केवल इतनी है कि हम इसे बाजार और प्रदर्शन तक सीमित न होने दें, बल्कि इसके पीछे छिपी लोक स्मृतियों, मान्यताओं, गीतों, कथाओं और सामुदायिक जीवन को भी समझा जा सकता है। शायद इसीलिए भादवा आते ही राजस्थान का हर व्यक्ति-चाहे वह देश के किसी भी राज्य में हो या देश-दुनिया के किसी दूसरे कोने में-अपनी मिट्टी की खुशबू महसूस करने लगता है। लोक संस्कृति का यह सराबोर संसार उसे भीतर तक भिगो देता है और वह अनायास कह उठता है-यही तो राजस्थान है, जहां आस्था भी लोक है और लोक ही जीवन है।

राजेन्द्र जोशी
शिक्षाविद-साहित्यकार

राशिफल रविवार 13 सितम्बर, 2026

पंडित अनिल शर्मा

भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, रविवार, विक्रम संवत-2083, हस्त नक्षत्र, दिन 1:07 तक, शुक्ल योग दिन 1:43 तक, कौलव करण प्रातः 7:09 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 1:26 से तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-मिथुन, बुध-कन्या, गुरू-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग सूर्योदय से 1:09 तक है। रवियोग दिन 1:07 से रात्रि 9:48 तक है। राजयोग दिन 1:07 से सूर्योदय तक है। आज चन्द्र दर्शन उत्तर श्रृंगोन्नति है। आज से मेला रामदेव रूणीचा में 9 दिन का आरम्भ होगा। आज श्री वराह जयन्ती, रोट तीज, मन्वादि है।

श्रेष्ठ चौघड़िया– चर 7:47 से 9:19 तक, लाभ-अमृत 9:19 से 12:23 तक, शुभ 1:55 से 3:27 तक

राहुकाल– 4:30 से 6:00 तक, सूर्योदय 6:15, सूर्यास्त 6:31

मेष

परिवार में चल रहे आपसी मतभेद दूर होने लगेंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा।

वृष

मित्रों/रिश्तेदारों के कारण समय खराब हो सकता है। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा।

मिथुन

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए यात्रा संभव है।

कर्क

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

सिंह

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

कन्या

आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन प्राप्ति में विलम्ब हो सकता है। व्यावसायिक परेशानियां अभी बनी रहेगी। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

तुला

तुलाः परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

वृश्चिक

स्वास्थ्य संबंधित परेशानी से राहत मिलेगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कुंभ

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मीन

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।